राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

नवाज शरीफ से मिलने जेल गईं मरयम गिरफ्तार

>> 11

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 60

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 9 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

एक नई आजादी...

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम (संशोधन) 2019 कानून से आतंकवाद का होगा समूल नाश। बदलाव के बाद जांच एजेंसियों के हाथ हुए मजबूत। पेज 3

जय हिंद

तिरंगे को ऊंचाइयों पर ले जाने का जुनून

पीलीभीत : किसी रिकॉर्ड की चाह नहीं, बस चाह है तो ऊंचाई पर तिरंगा फहराने की। छोटे से गांव निसावां निसैया के तालिब। तिरंगे को ऊंचाई पर ले जाने का ऐसा जुनून कि 16 हजार फीट तक की ऊंचाई पार कर ली।

● पेज 13

ताकत वतन की हमसे है...

सरोकार

सलाम! साधारण लोगों के असाधारण जज्बे को

जेएनएन : कोलकाता पुलिस में तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल अपने वेतन का 80

फीसद खर्च कर बंगाल के सबसे पिछड़े आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए निशुल्क आवासीय स्कूल चला रहा है। वहीं बिहार के गया में मांझी समुदाय के गरीब राजमिस्त्री ने आजीविका के लिए मिला भूखंड स्कूल के लिए दान कर दिया है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

प्रणब मुखर्जी, नानाजी और भूपेन बने भारत रत्न

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के दिवंगत नेता नानाजी देशमुख और दिवंगत गायक भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मान से नवाजा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

विदेशी हाथों में जा सकती है एयरटेल की कमान

नई दिल्ली : हाल के दिनों तक देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रही एयरटेल की कमान विदेशी हाथों में जा सकती है। सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल एयरटेल की प्रवर्तक कंपनी भारती टेलीकॉम में हिस्सेदारी 50 फीसद से ज्यादा करने की तैयारी कर रही है।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 12

पृथ्वी शॉ के सैंपल और रिपोर्ट आने में दो महीने का अंतर

नई दिल्ली : बीसीसीआइ ने पृथ्वी शॉ के डोपिंग मामले में टाइमलाइन जारी की है, जिसमें उनके सैंपल लेने और राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने में दो माह का अंतर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) इस मामले को दोबारा खोल सकती है।

राष्ट्र के नाम संदेश ▶ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 को हटाना सही, इससे केवल बढ़ी थीं समस्याएं

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सामने है सुनहरा भविष्य

हालात सुधरने के बाद फिर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, अब साथ मिलकर देश के हित में सोचने का समय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को संपूर्ण विकास, पारदर्शी चुनाव और आतंकवाद के खात्मे का भरोसा दिलाया है। अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के विभाजन के बाद गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सामने सुनहरा भविष्य है। अनुच्छेद 370 को आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला करार देते हुए मोदी ने इसे हटाने को ऐतिहासिक कदम बताया। **शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने यह भरोसा भी दिलाया कि राज्य के लोगों को ईद मनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। राज्य से बाहर रहने वालों को घर तक पहुंचने में मदद भी दी जाएगी।**

लगभग 40 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की हर चिंता को छूने और उसे दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने आशा और उम्मीद का संदेश देते हुए कहा कि हालात सामान्य होते ही जम्मू-कश्मीर को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित ही बना रहेगा। मोदी ने सरकार के फैसले का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया कि अब सरकार के साथ खड़े होकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि किसने समर्थन किया और किसने नहीं, अब यह वक्त नहीं है। सबको जनभावना का आदर करना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान खासा अहम है क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कई नेताओं ने सरकार के कदम का समर्थन किया है। अनुच्छेद 370 को कश्मीर के विकास में बढ़ी बाधा करार देते हुए मोदी ने कहा कि इससे केवल परिवारवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार ही बढ़ा। पाकिस्तान ने इसे आतंक फैलाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि आम कश्मीरियों के हाथ खाली थे। उन्होंने कहा कि अब जब यह प्रावधान खत्म हो गया है, तो प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। प्रधानमंत्री ने कई केंद्रीय योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए है। केंद्र सरकार स्थानीय जनता के सहयोग से पूरी कोशिश करेगी कि हर क्षेत्र में विकास नई ऊंचाइयां छुए।

फिर बनेगा धरती का 'स्वर्ग' : मोदी ने कहा, 'कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराएंगे, फिर से धरती का स्वर्ग बनाएंगे, ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, विकास के मानक पर प्रदेश विश्व को आकर्षित करने लगेगा, जनता को अधिकार मिलने लगेगा और शासन प्रशासन जनहित में काम करने लगेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखने की जरूरत रहेगी। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित ही रहेगा।' मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनने की क्षमता रखते हैं। इसे परवान चढ़ाया जाएगा।

राज्य के लोगों को मिलेंगे सभी लाभ : केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले लाभ का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कर्मियों को एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं मिलती हैं जिनमें से अधिकांश जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं। अब समीक्षा कर यह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बहुत जल्द ही जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में केंद्र व राज्य के रिक्त पदों को भरने की कोशिश जाएगी। पीएसयू और प्राइवेट की कंपनियों को भी रोजगार के नए क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती करने के लिए रैली आयोजित होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का विस्तार किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में राजस्व घाटा को कम करने की कोशिश भी होगी।

तीसरा संदेश : मोदी का संदेश बतौर प्रधानमंत्री उनका तीसरा राष्ट्र के नाम संबोधन है। दूसरे कार्यकाल में वह पहली बार राष्ट्र के लोगों से सीधे मुखातिब हुए, जबकि पहले कार्यकाल में नोटबंदी का एलान किया गया था तथा अंतरिक्ष में भारत के महाशक्ति बनने की सूचना दी गई थी।

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेट्र

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा

- राज्य में आतंकवाद फैलाने के लिए अनुच्छेद 370 को हथियार बना रहा था पड़ोसी देश पाकिस्तान
- पिछले तीन दशक में जम्मू-कश्मीर में हिंसा के कारण 42,000 से ज्यादा लोगों को गंवानी पड़ी जान
- केंद्र के बनाए जनहितकारी कानूनों के लाभ से वंचित रह जाते थे राज्य के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग
- सरकार के फैसले से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वाजपेयी, सरदार पटेल समेत करोड़ों भारतीयों का पूरा हुआ सपना

मोदी का संदेश सुनकर कश्मीरियों ने ली राहत की सांस पेज>4

प्रधानमंत्री का संदेश (संपादकीय) पेज>>8

बौखलाए पाकिस्तान ने रोकी समझौता एक्सप्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वाघा में ट्रेन खड़ी करके भारत से कहा- आकर ले जाइए
- पाक बोला- अब ट्रेन का संचालन बंद, भारतीय अधिकारियों ने किया इन्कार
- पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर भी लगाई रोक

बौखलाए पाकिस्तान ने अब एक और नासमझ कदम उठाया है। दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को अटारी तक लाने की बजाय वाघा में ही रोक दिया। पाक का कहना था कि भारत जाने में उसके चालक दल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। नतीजतन, भारत को इंजन के साथ अपना चालक दल भेजकर लाहौर से आने वाली ट्रेन को अटारी तक लाना और दिल्ली से जाने वाली ट्रेन को वाघा तक छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि उसने ट्रेन का संचालन रोक दिया है, जबकि भारतीय रेल अधिकारियों ने इससे इन्कार किया है। साथ ही पाक ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार एफए अवान ने कहा, भारतीय फिल्मों, ड्रामे या किसी भी भारतीय सामग्रियों का पाक में प्रदर्शन नहीं होगा।

समझौता एक्सप्रेस के बारे में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि पाकिस्तान से भारत आने वाली ट्रेन में 110 यात्री, जबकि भारत से पाकिस्तान जाने वाली समझौता एक्सप्रेस में 70 यात्री सवार थे। उन्होंने साफ किया कि पाक ने समझौता एक्सप्रेस का संचालन बंद नहीं किया है। बल्कि उसकी तरफ से अपने चालक दल की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई थीं। जिस पर हमने उनसे कहा है कि भारत में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। फिर भी उनकी चिंताओं के मद्देनजर हमने उधर की ट्रेन को वाघा से अटारी लाने और इधर की ट्रेन को वाघा पहुंचाने के इंतजाम कर दिए।

यह है ट्रेन संचालन की प्रक्रिया : दीपक कुमार ने कहा कि दोनों तरफ की ट्रेनें अटारी पहुंचती हैं। लाहौर से आने वाली ट्रेन के यात्री अटारी में ट्रेन से उतरकर भारतीय ट्रेन में बैठते हैं। इसी प्रकार दिल्ली से जाने वाली समझौता एक्सप्रेस के यात्री उतरकर पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन में बैठते हैं। फिर वह ट्रेन वापस वाघा होते हुए लाहौर पहुंचती है। अटारी से वाघा की दूरी लगभग तीन किलोमीटर जबकि लाहौर की दूरी लगभग 26.6 किलोमीटर है। इसमें छह स्टेशन पड़ते हैं। अटारी अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर है।

पाक मंत्री ने कहा था, बंद हुई सेवा : गुरुवार सुबह पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद खान ने इस्लामाबाद में पत्रकारों से कहा था कि भारत के साथ समझौता एक्सप्रेस सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया।

1976 से हो रहा है संचालन : समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुए शिमला समझौते के तहत 22 जुलाई, 1976 को हुई थी। पहले यह अमृतसर से लाहौर के बीच रोजाना चलती थी। पंजाब में आतंकवाद के दौर में भारत सरकार ने इसे सिर्फ अटारी तक चलाने का निर्णय लिया। 1994 में इसे हफ्ते में दो बार चलाने का फैसला हुआ। 28 फरवरी 2019 से चार मार्च के बीच ट्रेन का संचालन पुलवामा हमले के कारण रोका गया था। भारत-पाकिस्तान के बीच जब-जब संबंधों में खटास आती है, उसका असर समझौता एक्सप्रेस के संचालन पर पड़ता है।

करतारपुर कॉरिडोर पर काम जारी रहेगा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि भारत के साथ राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाने के फैसले के बावजूद वह करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय उड़ानों के लिए खुला है वायु क्षेत्र : पाकिस्तान ने साफ किया है कि उसने न तो अपना वायु क्षेत्र भारतीय उड़ानों के लिए बंद किया है, न ही कोई मार्ग बंद किया है और न ही भारतीय उड़ानों के लिए किसी मार्ग को परिवर्तित किया गया है।

हाय तौबा न करे पाक, राजनयिक संबंध बनाए रखे : भारत पेज>>5

कश्मीर पर फैसले में बहुत कुछ अच्छा : कर्ण सिंह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जम्मू-कश्मीर के दिवंगत महाराजा हरि सिंह के पुत्र डॉ. कर्ण सिंह ने जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले की हिमायत कर इस मुद्दे पर पार्टी में जारी अंदरूनी घमासान को और तेज कर दिया है। इस मसले पर पार्टी में फूट थामने के लिए शुक्रवार को बुलाई गई विशेष बैठक से पहले कर्ण सिंह ने साफ कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की एक सुर में निंदा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसमें कई सकारात्मक पहलू भी हैं। जम्मू-कश्मीर के बंटवारे पर कांग्रेस के विरोध से भी असहमति जताते हुए कर्ण सिंह ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को सही ठहराया है। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि जब वह सदरे रियासत थे तो उन्होंने भी इसकी वकालत की थी। वहीं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने पार्टी में उठ रहे विरोध के सुर को दरकिनार करते हुए यह सवाल दागा कि क्या 'दबंग राष्ट्रवाद' से दुनिया में कहीं भी किसी संघर्ष का समाधान निकला है?

कर्ण सिंह के इस रुख ने पार्टी नेतृत्व के लिए जम्मू-कश्मीर के मौजूदा मसले पर सियासी मुसीबत और बढ़ा दी है। अब तक युवा ब्रिगेड के सरकार के कदम का खुले रूप से समर्थन करने से हिली पार्टी के लिए कर्ण सिंह का रुख बड़ा झटका भी है क्योंकि जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत के नाते कर्ण सिंह के पिता महाराजा हरि सिंह ने ही कश्मीर के भारत में विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था।

कर्ण सिंह ने गुरूवार को एक बयान में कहा 'जम्मू-कश्मीर पर सरकार के फैसले में कई सकारात्मक पक्ष हैं। सूबे के बंटवारे से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलना, अनुच्छेद 35ए का खात्मा और चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन का रास्ता खुलना फैसले का सकारात्मक पहलू है। इसीलिए वे सरकार के फैसले को एक सिरे से खारिज कर निंदा किए जाने से सहमत नहीं है।' कर्ण सिंह का यह बयान कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव के उलट है जिसमें जम्मू-कश्मीर का बंटवारा करने के सरकार के कदम की निंदा की गई थी।

उन्होंने आगे कहा है कि जम्मू-कश्मीर की दोनों मुख्य क्षेत्रीय पार्टियों नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने सूबे की पार्टियों के गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की हिमायत करते हुए कहा कि राजनीतिक बातचीत जरूरी है। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की भी उन्होंने मांग की है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में सरकार के फैसले पर कश्मीर की मुख्यधारा के लोगों द्वारा जाहिर की जा रही हताशा का उल्लेख करते हुए सूबे के बंटवारे पर कांग्रेस के एतराज को सही ठहराया। कर्ण सिंह और चिदंबरम के अलग-अलग अंदाज के बयानों से साफ है कि कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के बाद बुजुर्ग नेताओं के विरोधाभासी सुर को देखते हुए शुक्रवार की अनुच्छेद 370 पर बुलाई गई बैठक बेहद अहम हो गई है।

कर्ण सिंह की फाइल फोटो। प्रेट्र

- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पार्टी की एकपक्षीय निंदा से जताई दूरी
- लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को भी सही ठहराया

सरकार के फैसले से आदिवासी समूहों को आरक्षण का लाभ मिलने और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को लंबे समय बाद वोट का अधिकार मिलना स्वागत योग्य कदम है। नए परिसीमन से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में न्यायोचित राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाना संभव होगा।

- कर्ण सिंह, कांग्रेस नेता

बंगाल के स्कूल में पूछा प्रश्न-'जय श्री राम' नारे के दुष्परिणाम बताएं

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में एक बार फिर जय श्री राम का मुद्दा सुर्खियों में है। इस बार हुगली जिले के एक सरकारी स्कूल में जय श्री राम को लेकर हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है। स्कूल की दसवीं की आंतरिक परीक्षा में छात्रों से पूछा गया है कि वह जय श्रीराम नारे का दुष्परिणाम बताएं। साथ ही एक और सवाल यह भी आया है कि वह कट मनी लौटाने के फायदे बताएं। इन सवालों को लेकर एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद स्कूल के शिक्षक ने माफी मांगी है।

इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर थानांतर्गत बाखराहाट उच्च विद्यालय में जय श्रीराम बोलने पर बाहरी लोगों द्वारा स्कूल में घुसकर छात्रों से मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। एक और मामले में एक टीचर ने क्लास वन में पढ़ने वाले बच्चे की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि उसने क्लास में जय श्रीराम बोल दिया था। अब यह बच्चा स्कूल जाने के नाम से ही खौफ में आ जाता है। मामला मध्य हावड़ा स्थित श्रीरामकृष्ण शिक्षालय नामक स्कूल का था।

श्रीनगर में रोके गए आजाद ने डोभाल पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- एनएसए के दौरे पर बोले पूर्व सीएम पैसे से आप कुछ भी करवा सकते हैं

राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का गुरुवार को कश्मीर आकर राज्य के पुनर्गठन के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति तय करने का इरादा पूरा नहीं हो पाया। आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने रोक लिया और दोपहर बाद दिल्ली भेज दिया। इससे पहले आजाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के शोपियां में स्थानीय लोगों के साथ खाना खाने पर कहा कि पैसे से आप कुछ भी करवा सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में बांटने के बाद से कश्मीर में निषेधाज्ञा लागू है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कांफ्रेंस समेत विभिन्न कश्मीर केंद्रित दलों की तरह कांग्रेस भी केंद्र के फैसले का विरोध कर रही है।

कश्मीर के हालात का जायजा लेने और इस मुद्दे पर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ रणनीति तय करने के लिए गुलाम नबी आजाद सुबह नई दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर भी श्रीनगर पहुंचे थे। श्रीनगर पहुंचने के बाद वह कांग्रेस नेताओं से मिल पाते, उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कुछ मीडियाकर्मियों ने उनसे बातचीत का प्रयास किया। डोभाल के शोपियां दौरे पर पूछे जाने पर आजाद ने कहा, पैसे के बल पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। आजाद और मीर को एयरपोर्ट पर बने वीआइपी लाउंज में बैठाया गया। दोपहर तीन बजे के विमान से श्रीनगर से दिल्ली रवाना कर दिया गया।

नई दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के बाहर मीडिया से बात करते गुलाम नबी आजाद। प्रेट्र

दिल्ली में मुफ्त वाई-फाई की योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के अपने प्रमुख चुनावी वादे को पूरा कर ही दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट ने दिल्ली में 11,000 फ्री वाई-फाई हॉट स्पॉट बनाने को मंजूरी दे दी है। यह दुनिया में किसी भी सरकार द्वारा मुफ्त वाई-फाई हॉट स्पॉट जनता को देने की सबसे बड़ी पहल है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त वाई-फाई देने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। इनमें से 4,000 हॉट स्पॉट दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा 7,000 हॉट स्पॉट दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। सरकार सेवादाता कंपनी को प्रति हॉट स्पॉट, प्रति महीने के हिसाब से भुगतान करेगी। इस पर सालाना करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हॉट स्पॉट के 50 मीटर के दायरे में जितने लोग होंगे वो वाई-फाई का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसकी स्पीड 200 एमबीपीएस होगी। हर यूजर, हर महीने 15 जीबी तक का डाटा मुफ्त में इस्तेमाल कर पाएगा। (पेज-2)

बड़ा सवाल

भगवान राम विराजमान ने हाईकोर्ट के जन्मभूमि बंटवारे के फैसले पर सवाल उठाए, कहा- निर्मोही अखाड़ा व सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस खारिज हो गया था, आज निर्मोही अखाड़ा पेश करेगा राम जन्मभूमि पर कब्जे के सुबूत

मुकदमा रामलला का मंजूर तो फिर जमीन दूसरों में कैसे बांटी

माला दीक्षित, नई दिल्ली

भगवान राम विराजमान ने गुरुवार को हाईकोर्ट के जन्मभूमि बंटवारे के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब मुकदमा उनका मंजूर हुआ था तो फिर जमीन का हिस्सा दूसरे पक्षों को कैसे बांटा जा सकता है। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुकदमा समय बाधित (तय समयसीमा में न दाखिल होना) होने के आधार पर खारिज हो गया था। वैसे भी मुकदमा जमीन पर मालिकाना हक घोषित करने का था। किसी भी पक्षकार ने बंटवारे की मांग नहीं की थी, तो फिर कोर्ट पक्षकारों के बीच जमीन का बंटवारा कैसे कर सकता है। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।

रामलला की ओर से ये दलीलें अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में तीसरे दिन चली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए दी गईं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ आजकल अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर रोजाना सुनवाई कर रही है। पीठ में अन्य न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नजीर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में दिए गए फैसले में राम जन्मभूमि का एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। इस फैसले को सभी पक्षों ने चुनौती दी है। फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है।

गुरुवार को रामलला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के.परासरन ने राम जन्मभूमि के पक्ष में दलीलें रखते हुए कहा, जन्मभूमि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उन्होंने संस्कृत का श्लोक जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का हवाला देते हुए कहा, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जन्म स्थान कोई सामान्य स्थल को नहीं कहा जाता। स्थान और स्थल में अंतर है। यह राम जन्मस्थान है और यह एक ऐसी जगह है जहां सबकी आस्था है। मुकदमे के मामले में समयसीमा अहम होती है। अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड का मुकदमा समयबाधित खारिज हुआ है। भगवान राम वहां हमेशा से हैं और अब कोर्ट को तय करना है कि इस पर किसका अधिकार है।

रामलला के मुकदमे में जन्मस्थान को दूसरा याची बनाने पर सवाल : कोर्ट ने रामलला के मुकदमे में जन्मस्थान को दूसरा याची बनाए जाने पर परासरन से यह सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा, निसंदेह कानून की निगाह में भगवान की मूर्ति न्यायिक व्यक्ति मानी जाती है लेकिन क्या जन्मस्थान भी न्यायिक व्यक्ति हो सकता है। परासरन ने जवाब में कहा, हिंदू धर्म में सिर्फ मूर्ति को ही पूजा के लिए पवित्र स्थान नहीं माना गया है। हिंदुओं में सूर्य व नदियों की भी पूजा होती है। इसी क्रम में जन्मस्थान को भी एक न्यायिक व्यक्ति माना जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह मूर्ति नहीं है सिर्फ लिंग है। नदी का उदाहरण देने पर जस्टिस बोबडे ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें गंगा नदी को न्यायिक व्यक्ति घोषित किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मान लो जब कोई किसी मूर्ति की पूजा करता है तो वह एक दैवीय शक्ति की भी आराधना करता है, क्या यही अवधारणा इसमें लागू होगी।

मुसलमानों ने 16 दिसंबर 1949 को आखिरी बार वहां नमाज पढ़ी : कोर्ट ने रिकार्ड का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों ने वहां आखिरी बार 16 दिसंबर 1949 को नमाज पढ़ी थी। 22-23 दिसंबर 1949 की रात वहां मूर्तियां रखी गईं जिसके बाद मुसलमान वहां नमाज नहीं पढ़ पाए। उन्हें नमाज पढ़ने से रोकना क्या लगातार हुई गलती नहीं मानी जाएगी। इस पर हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा, ऐसा नहीं है। मुस्लिम उसके बाद वहां नहीं गये क्योंकि मूर्तियां रखने के बाद वहां जो ढांचा था जिसे अगर मस्जिद कहा जाए तो उसकी प्रकृति खत्म हो गई थी। परासरन ने गुरुवार को फिर कहा कि मूर्ति रखने के बाद कोर्ट ने वहां रिसीवर नियुक्त कर दिया था इसलिए इसे लगातार की जाने वाली गलती नहीं कहा जाएगा।

निर्मोही अखाड़ा पेश करेगा सुबूत : शुक्रवार को निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि पर कब्जा साबित करने के लिए दस्तावेजी सुबूत पेश करेगा। कोर्ट ने अखाड़ा के वकील को शुक्रवार को साक्ष्य पेश करने को कहा है।

परंपरा तोड़ होगी आज भी सुनवाई पेज>>3

उप्र के पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव पर अवैध कब्जे का मुकदमा

जागरण टीम, लखनऊ

- लखनऊ की बेशकीमती जमीन पर मालिकाना हक का मामला
- पूर्व मंत्री बलराम यादव के बेटे से ठनी, उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई

लखनऊ के शहीद पथ स्थित हरिहरपुर गांव के सामने बेशकीमती जमीन पर मालिकाना हक को लेकर पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव और पूर्व मंत्री बलराम यादव के पुत्र विजय कुमार सिंह आमने-सामने आ गए हैं। मंगलवार को हुए विवाद के बाद विजय सिंह की तहरीर पर बुधवार देर रात गोसाईंगंज थाने में जगमोहन यादव के खिलाफ अवैध कब्जा करने, बलवा, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, धोखाधड़ी आदि की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

मंगलवार को शहीद पथ के मुजफ्फरनगर घुसवल गांव स्थित एक भूखंड की घेराबंदी के लिए जगमोहन यादव पिलर बनवा रहे थे। इसी दौरान विजय सिंह की तरफ से आए अधिवक्ता व अन्य लोगों ने विरोध किया। तनाव की सूचना पर फोर्स के साथ पुलिस-प्रशासन के अफसर पहुंच गए। एसडीएम सरोजनीनगर के हस्तक्षेप के बाद जगमोहन यादव द्वारा कराया जा रहा निर्माण बंद हुआ।

आवास विकास परिषद ने भी दी तहरीर : आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता डीके गुप्ता ने भी पूर्व डीजीपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। आरोप है कि मंगलवार को हरिहरपुर स्थित परिषद की अधिगृहीत भूमि पर पूर्व डीजीपी अवैध कब्जा कर रहे थे। सहायक अभियंता व अन्य अधिकारियों ने रोका तो पूर्व डीजीपी ने अभद्रता करते हुए कब्जा रोकने से मना कर दिया।

वहीं, जगमोहन यादव ने कहा, भूखंड विन्नी इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक इंदिरानगर निवासी बच्चू कपूर के नाम से दस्तावेजों में दर्ज है। कपूर ने मुझे केयर टेकर बना रखा है। मंगलवार को वहां से गुजरा तो विजय और उनके साथियों ने अभद्रता की। उनके आरोप निराधार हैं।